समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

फोन न0 0612–2219545 (का0)
फैक्स न0–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

240

–: आदेश :–

26-08-2013

आवेदक **श्री विनोद प्रसाद सिंह,** पिता–स्व0 अलख नारायण सिंह, सा0–रानीपुर, पो0–कोड़रा, थाना–पालीगंज, जिला–पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–09–598/2008 में सुनवाई की तिथि–26.08.2013 निर्धारित की गयी।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक–26.08.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे रानीपुर पंचायत के पूर्व सरपंच हैं। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया, परन्तु पूछने पर सुरक्षा भय के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

अंकनीय है कि पूर्व में आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय द्वारा छः माह से अधिक समय के पश्चात भी पुलिस प्रतिवेदन के अभाव में दिनांक–06.11.2009 को अस्वीकृत किया गया था, जिसकी सूचना जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, पटना के पत्रांक–151/श0, दिनांक–08.01.2010 के द्वारा आवेदक को भेजी गयी थी। उक्त पत्र में ही यह सूचित किया गया था कि आवेदक नया शस्त्र आवेदन नये तथ्यों के साथ शस्त्र कार्यालय में समर्पित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

आवेदक के पूर्व शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र पर वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–1263/गो0, दि0–31.10.2009 से प्रेषित प्रतिवेदन कार्यालय को दि0–03.11.2009 को प्राप्त हुआ, जो अभिलेख पर दिनांक–06.11.2009 को आदेश अंकित होने के बाद संधारित किया गया।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) एवं 13 (2A) में अंकित है कि "आवेदन की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी उस आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक ऑफिसर की रिपोर्ट मंगवाएगा और ऐसा ऑफिसर अपनी रिपोर्ट विहित समय के भीतर भेजेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा वह आवश्यक समझे और उप–धारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अध्याय के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति या तो अनुदत्त करेगा या अनुदत्त करने से इन्कार करेगा :

परन्तु जहाँ निकटतम पुलिस थाने का भारसाधक ऑफिसर आवेदन पर विहित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजता है, वहाँ यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी ठीक समझे तो वह विहित समय के अवसान के पश्चात्, उस रिपोर्ट की और प्रतीक्षा किए बिना ऐसा आदेश कर सकेगा।"

अंकनीय है कि पुलिस प्रतिवेदन के ससमय प्राप्त नहीं होने के कारण आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को पूर्व में अस्वीकृत किया जा चुका है और उक्त आदेश

अपीलीय प्राधिकार अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा खंडित करने अथवा उस पर पुनर्विचार करने का कोई आदेश अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय को प्राप्त नहीं है। साथ ही जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, पटना के पत्रांक–151/श0, दिनांक–08.01.2010 द्वारा आवेदक को भेजे गये अस्वीकृति आदेश की सूचना के आलोक में आवेदक के द्वारा कोई नया शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र भी अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दाखिल नहीं किया गया है। उक्त आलोक में आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र पर पूर्व में निर्गत अस्वीकृति आदेश में किसी तरह का संशोधन उचित प्रतीत नहीं होता है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के परिशीलन के उपरान्त आवेदक **श्री विनोद प्रसाद सिंह,** पिता–स्व0 अलख नारायण सिंह, सा0– रानीपुर, पो0–कोड़रा, थाना–पालीगंज, जिला–पटना के आवेदित एक एन0पी0बोर रायफल अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र को **अस्वीकृत** किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।